

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वकील अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

संख्या :- 487/2024

पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

आबू राम दत्तक पुत्र खेताराम जाति ब्राह्मण नि.रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

जगतपाल पुत्र बट्टीप्रसाद जाति ब्राह्मण नि.रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

दाताराम पुत्र बट्टीप्रसाद जाति ब्राह्मण नि.रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

बिछा पत्नी बट्टी प्रसाद जाति ब्राह्मण नि.रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादीगण

बनाम्

राम सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख नि.रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

मोलासिंह पुत्र पाल सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

परमजीत कौर पत्नी बाबूसिंह जाति जटसिख नि.रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

मलकीत सिंह पुत्र बाबूसिंह जाति जटसिख नि.रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

लाल सिंह पुत्र बाबूसिंह जाति जटसिख नि.रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

महावीर पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

राजवीर पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

लिछमा पत्नी भीया जाति ब्राह्मण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

एक्सिस बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा संगरिया

ए.एस.बी.आई. बैंक शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक नई धान मण्डी, सादुलशहर

1. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

---प्रतिवादीगण

दिनांक :- 2.7.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु हमारे बहाजरी श्री सुभाष कासनियां वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 4, 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नाम काशतकार मय वित्तीयत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
आबूराम दतक पुत्र खेताराम 2.448 हि. राहिन एकसीस बैक संगरिया जाति ब्राहमण निवासी रासूवाला 2 जगतपाल 0.979 हि. 3 दाताराम 0.980 हि.पि. ब्रदीप्रसाद राहिनान नईधान मण्डी सादुलशहर 4 विद्यादेवी पत्नि ब्रदीप्रसाद 0.490 हि. 5 जंग सिंह 0.123 हि. 6 पोला सिंह 0.123 हि. 7 बाबू सिंह 0.123 हि.पि. पाला सिंह 8 महावीर 0.632 हि. 9 राजवीर 0.062 हि. पि.जुगलाल 10 लिछमा पत्नि भीयांराम 4.173 हि. जाति ब्राहमण निवासी शरदकुला	प.म. रासूवाला के चक 8 आईडीजी के खाता संख्या 11/6 खाते का योग 4.554 हैक्ट. (विवादित श्रेणी का है)	आबूराम दतक पुत्र खेताराम राहिन 2.448 हि. एकसीस बैक संगरिया जाति ब्राहमण निवासी रासूवाला जगतपाल 0.892 हि. दाताराम 0.892 हि. पि ब्रदीप्रसाद राहिनान नईधान मण्डी सादुलशहर विद्यादेवी पत्नि ब्रदीप्रसाद 0.443 हि. जाति ब्राहमण नि. रासूवाला	प.न. 117/125 मु.न. 21 किला नं. 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला 7,8,9,10/1.012, प.न. 1116/125 मु.न. 22 का कि.न. 15/1/0.215, 15/2/0.038 गै. मु.रास्ता 16/1/0.215, 16/2/0.038 गै.मु.रास्ता 24/0.253, 25/1/0.215, 25/2/0.038 गै.मु. रास्ता कुल 2.277 हैक्ट. प.न. 117/124 मु.न. 14 किला नं. 16/1/0.228, 16/2/0.025 गै. मु.खाला 17,18,19,21,22,23,24/1.771, 25/1/0.228,25/2/0.025 गै.मु.खाला कुल 2.277 हैक्ट.

उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिला है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में रथगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर अतनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1801 दिनांक 21.05.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।
निज.....मुक्लिक.....वावत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करे।
वसव्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2.7.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपपंच अधिकारी,
संगरिया